REC LIMITED

Registered Office: Core – 4, SCOPE Complex,7, Lodhi Road, New Delhi – 110003.
Corporate Office: Plot No. I-4, REC World Headquarters,
Sector-29, Gurugram -122001(Haryana)
Tel No. +91 124 444 1300 website: www.recindia.nic.in
CIN: L40101DL1969GOI005095 GST No. 06AAACR4512R1Z3

दिनांक: 31 मार्च, 2026

आरईसी लिमिटेड

महारत्न कंपनी

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85 के तहत आरईसी सीजीटीई बॉण्ड की नई श्रृंखला शुरू करने के संबंध में सूचना

(1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी)

आरईसी लिमिटेड 1 अप्रैल, 2026 से पूंजीगत लाभ कर छूट (सीजीटीई) बॉण्ड की नई श्रृंखला - XX शुरु करने जा रही है। जिन निवेशकों की आवेदन राशि 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद आरईसी के 54ईसी कलेक्शन अकाउंट में जमा होगी, उन्हें आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85 के तहत जारी किए गए "पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड' (Capital Gain Tax Exemption Bonds) की नई श्रृंखला-XX के तहत बॉण्ड आवंटित किए जाएंगे।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85 से बदल दिया गया है (जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी है)। धारा 85 भूमि या भवनों या दोनों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long Term Capital Gains) पर छूट प्रदान करती है यदि निर्दिष्ट दीर्घकालिक बॉण्ड (Long Term Bonds) में निवेश किया जाता है।

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आरईसी सीजीटीई बॉण्ड श्रृंखला- XX के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है।

मोबिलाइज़र, कलेक्शन बैंक और अन्य नियमों व शर्तों के बारे में जानकारी के लिए, निवेशक बॉण्ड श्रृंखला के सूचना ज्ञापन पृष्ठ को देख सकते हैं या आरईसी की वेबसाइट www.recindia.com/54ec पर जा सकते हैं।

कृते आरईसी लिमिटेड

-हस्ताक्षर-
महाप्रबंधक (वित्त)

अस्वीकरण- **उपरोक्त सूचना, उक्त बॉण्ड के लिए सदस्यता हेतु जनता के लिए एक प्रस्ताव का गठन नहीं करेगी।**